KASE-

(2)

अंचल अधिकारी .... का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या- 631 (IV)

[illegible]— बिहार (झारखण्ड) भूमि [illegible] की धारा 4(h) के [illegible]
एवं कार्रवाई से [illegible]

11.07.16

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक—2014/रा0, दिनांक—13.05.2016 सहपठित—श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-[illegible]-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या—3—खा0म0नीति—113/85/2308/रा0, दिनांक—03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या—914/रा0, दिनांक—09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा—अकनसिया, थाना— 70, खाता संख्या— 46 प्लॉट संख्या— 805 रकबा— 30 डी0 एकड की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनावाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या— – के पृष्ठ संख्या— 222, पर जमाबंदी रैयत कालीचरण मांझी के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल [illegible] भूमि के विरूद्ध कायम जामबंदी को [illegible]

हल्का कर्मचारी एवं [illegible] होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी [illegible] आधार पर/ अवैध जोतकर [illegible] के आधार पर/ अवैध लगान [illegible] पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका [illegible] राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक— 19.07.16 [illegible]

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

11/07/16

11/07/16

E:\Sec [illegible]

19.7.16 अभिलेख अपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त। पक्षकार अनुपस्थित। द्वितीय नोटिस निर्गत कर

अभिलेख दिनांक 26.7.16 को रखे

19/7/16
अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

26/7/16 अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। पक्षकार अनुपस्थित।

अभिलेख अग्रसारित रखें

26/07/16
अंचल अधिकारी
गोवि०पुर